

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

..... बनाम
 किस्म मुकदमा..... 223 मु.नं० 119 वर्ष..... 2018

6.9.24

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थापित रखा। पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 8/10/24 को पेश हो।

8/10/24

पत्रावली पेश। वकील अपीलांत को हिदायत दी जाती है कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। तहत जा रिकॉर्ड प्राप्त शामिल पत्रावली रहे / तलब किया जाये। पत्रावली वारते तलबी दिनांक 11/11/24 को पेश हों। पत्रावली में पूर्व में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।

11.11.24

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पों.उपरिथत पीठासीन अधिकारी महोदय आज..... को पेश हो।
 बतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 10/12/24 को पेश हो।

10/12/24

पत्रावली पेश। वकील अपीलाट एवं अपीलाट स्वयं को बार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सांयकाल 6 बजे तक बार बार दिलाई गई। इन्तजार किया गया उसके बावजूद अपीलाट एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलाट अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णव सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तस्तीब तकमील दाखिल टफतर हो।



भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प इन्चार्ज)